



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022024-251988  
CG-DL-E-10022024-251988

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945

No. 30]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

विषय: दिनांक 18.08.2023 की सार्वजनिक सूचना सं. 28/2023 हेतु शुद्धिपत्र के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/261/एम18/पीसी-4.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 18.08.2023 की सार्वजनिक सूचना 28/2023 की तालिका क और तालिका ख के शीर्षकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हैं:

तालिका क का मौजूदा शीर्षक	तालिका क का संशोधित शीर्षक
क.वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सोना और चांदी, दोनों के आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची, 31 मार्च, 2024 तक वैध।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सोना और चांदी, दोनों के आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची 01.04 2023 से लागू और 31.03.2024 तक वैध।
तालिका ख का मौजूदा शीर्षक	तालिका ख का संशोधित शीर्षक
ख.वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केवल सोने के आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची 31 मार्च, 2024 तक वैध।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केवल सोने के आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों की सूची 01.04 2023 से लागू और 31.03.2024 तक वैध।

**इस शुद्धिपत्र का प्रभाव:**

दिनांक 18.08.2023 की सार्वजनिक सूचना सं. 28/2023 की तालिका क और तालिका ख के शीर्षकों को दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने हेतु बैंकों की सूची को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th February, 2024

**Subject: Corrigendum to Public Notice no. 28/2023 dated 18.08.2023-reg.**

**F. No. 01/94/180/261/AM18/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade hereby partially modifies the headings of Table A and Table B of Public Notice No. 28/2023 dated 18.08.2023 as follows:

<b>Existing heading of Table A</b>	<b>Revised heading of Table A</b>
A. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT BOTH GOLD AND SILVER FOR FY 2023-24 VALID UPTO MARCH 31, 2024	A. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT BOTH GOLD AND SILVER FOR FY 2023-24 WITH EFFECT FROM 01.04.2023 AND VALID UPTO 31.03.2024.
<b>Existing heading of Table B</b>	<b>Revised heading of Table B</b>
B. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT ONLY GOLD FOR FY 2023-24 VALID UPTO MARCH 31, 2024.	B. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT ONLY GOLD FOR FY 2023-24 WITH EFFECT FROM 01.04.2023 AND VALID UPTO 31.03.2024.

**Effect of this Corrigendum:**

The heading of Table A and Table B of Public Notice No. 28/2023 dated 18.08.2023 have been partially modified to make the list of banks effective from the 1<sup>st</sup> of April, 2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

&amp; Ex-officio Addl. Secy.